



2026:AHC:171483

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8057 वर्ष 2026

एक्स किशोर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुशील कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 213 वर्ष 2026, धारा 305-ए, 331(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक अवयस्क है। उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोप यह है कि एक मंदिर में सेंध लगाकर 'दान पात्र' की चोरी की गई। आवेदक का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अंकित की गई थी। आवेदक का नाम कथित रूप से सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में प्रकट हुआ है। आवेदक को उक्त अपराध से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि कथित दान पात्र, जिसे चुराया गया था, में लगभग 15,000 से 20,000 रुपये अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होना बताया गया है और गिरफ्तार किए गए सह-अभियुक्तों से 5,000 रुपये पहले ही बरामद किए जा चुके हैं। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि चोरी की गई धनराशि की बरामदगी अभी की जानी शेष है। आवेदक को अभिरक्षा में पूछताछ के लिए आवश्यक बताया गया है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस तथ्य से विवाद नहीं किया है कि आवेदक अवयस्क है और न ही इस तथ्य से कि उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

6. प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचना के दौरान सह-अभियुक्त के बयान में आवेदक का नाम सामने आया है। आवेदक एक अवयस्क है और उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अतिरिक्त किसी अन्य ठोस साक्ष्य के माध्यम से आवेदक का अपराध से संबंध स्थापित नहीं किया गया है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

9. आवेदक-**एक्स किशोर** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में उसके प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से, संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

14 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।